

राज्यसभा चुनाव

प्रलिस के लयल:

कुरूस वोटगल, संवधलन कल अनुकुरेद 80, वधलनसभल, [जनप्रतनलधलतलव अधनलयलम, 1951](#)

मेनुस के लयल:

रलज्यसभल कुरलवल, सरकलरल नीतलयलँ और वभनलन कुरेतरुँ में वकलस के लयल हसुतकुरेप एवं उनके डकलइन तथल करलयलनवन से उतुपनुन होने वलले मुदुदे

[सुरेत: द हदुदु](#)

कुरकल में कुरुयुँ?

उतुतर प्ररदेश, हलमलकल प्ररदेश तथल करनलटक जैसे रलज्युँ में [रलज्यसभल कुरलवल](#) में वभनलन दलुँ के वधलयकुँ (वधलनसभल सदस्य) दवलरल कुरूस-वोटगल कल गई । इससे एक बलर पुन: कुरलवल प्रकुरलयल कल पवतलरतल कुलेकर कतलएँ बदु गई हँ ।

रलज्यसभल कुरलवल कैसे होते हँ?

पृथभूमल:

- संवधलन के अनुकुरेद 80 के अनुसार, [रलज्यसभल](#) के लयल प्रतुयेक रलज्य के प्रतनलधलयलँ कुले [उनकुल वधलनसभल के नरलवलकतल सदस्युँ](#) दवलरल अपुरतुयकुरेप रूड से कुरलवल जलतल है ।
- रलज्यसभल हेतु मतदलन कल आवशुयकतल तभल होगल, जब उडुडुदवलरुँ कल संखुयल रकलतलयलँ कल संखुयल से अधकल हुे ।
- वरुष 1998 तक रलज्यसभल कुरलवुँ के परगलम लमतुौर पर पहले से तय होते थे, रलज्य वधलनसभल में बहुमत वललल पलरुतलयलँ के पलस प्रतसुलपरदुधल कल कडुल के चलते प्रलय: उनके उडुडुदवलर नरलवलरलध वकलयलल होते थे ।

- जून, 1998 में हलरलरलषुदर में रलज्यसभल कुरलवल में कुरूस-वोटगल हुडुई, कलसलके परगलमसुवरूड कऑनगुरेस पलरुतल के उडुडुदवलर कुले हलर कल सलमनल करनल पडुडल ।

जन प्रतनलधलतलव अधनलयलम, 1951 में संशुधन:

- वधलयकुँ पर इस तरह कल कुरूस वोटगल पर लगलम लगलने के लयल वरुष 2003 में [जन प्रतनलधलतलव अधनलयलम, 1951](#) में संशुधन कलयल गयल ।

- अधनलयलम कल धलरल 59 में यह प्रलवधलन करने के लयल संशुधन कलयल गयल कल रलज्यसभल के कुरलवल डुडुले मतपतुर के डलधुयड से होगल ।

- मतपतुर कुले अधकलतु अधकलरुतुतल कुले न दरखलने यल कसलल अनुय कुले न दरखलने से वुड अडुडुगुय हुे कलएगल ।

- अधकलतु अधकलरुतुतल कुले यल कसलल अनुय कुले मतपतुर न दरखलने पर वुड कुले अडुडुगुय डलनल कलएगल ।

- नरलदललल वधलयकुँ कुले अपने मतपतुर कसलल कुले दरखलने से रुके गयल है ।

रलज्यसभल में कुरलवल कल प्रकुरलयल:

- सीड ललवंटन: रलज्यसभल में दलललल और पुदुकेरल सडेत रलज्युँ तथल केंदुरशलसतल प्ररदेशुँ कल प्रतनलधलतलव करने वलले सदस्युँ कल संखुयल 250 है ।

- कुल सदस्युँ में से 12 कुले कलल, सलहतलय, खेल, वकुकुलन ललद कुरेतरुँ से प्रतुयकुरेप रूड से रलषुदुरपतलदवलरल नलडलंकतल कलयल जलतल है ।

- रलज्यसभल सीडुँ कल वतलरगन रलज्युँ में उनकुल जनसंखुयल के ललधलर पर कलयल जलतल है । उदलहरण के लयल, उतुतर प्ररदेश में 31 रलज्यसभल सीडुँ कल कुडल है जबकल गलवल में सरलफ एक है ।

- अपुरतुयकुरेप कुरलवल प्ररगललल: रलज्य वधलनसभललुँ के सदस्य एकल हसुतलंतरणलयल डत (STV) के डलधुयड से ललनुडलतकल प्रतनलधलतलव कल अपुरतुयकुरेप कुरलवल प्ररगललल के डलधुयड से रलज्यसभल सदस्युँ कल कडुन करते हँ ।

- इस प्ररगललल में, प्रतुयेक वधलयकुले के मतदलन कल अधकलर उसकुले संबुधतल नरलवलकन कुरेतरुँ कल जनसंखुयल दवलरल नरलधलरतल कलयल जलतल है ।

- कुडल: नरलवलकतल होने के लयल एक उडुडुदवलर कुले एक वशलषुड संखुयल में वुड प्रलपुत करने हंगे कनलहँ कुडल कलल जलतल है । कुडल

का निर्धारण कुल वैध वोटों को उपलब्ध सीटों की संख्या प्लस एक से वभाजति करके किया जाता है।

- कई सीटों वाले राज्यों में प्रारंभिक कोटा की गणना वधायकों की संख्या को 100 से गुणा करके की जाती है, क्योंकि प्रत्येक वधायक के वोट का मूल्य 100 होता है।
- **प्राथमिकताएँ एवं अधशेष:वधायक मतपत्र पर अपना नाम लिखते समय प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ अपनी प्राथमिकताएँ तय करते हैं। एक संख्या 1 शीर्ष वरीयता (पहला अधमिन्य वोट) को दर्शाती है, एक संख्या 2 अगले को दर्शाती है, इत्यादि।**
 - यदि किसी उम्मीदवार को कोटा पूरा करने या उससे अधिक के लिये पर्याप्त प्रथम अधमिन्य वोट प्राप्त होते हैं, तो वे नरिवाचति होते हैं।
 - यदि किसी वजियी उम्मीदवार के पास अधशेष वोट हैं, तो वे वोट उनकी दूसरी पसंद (नंबर 2 के रूप में चहिनति) को स्थानांतरति कर दयि जाते हैं। यदि कोई उम्मीदवारों के पास अधशेष है, तो सबसे बड़ा अधशेष पहले स्थानांतरति कयि जाता है।
- **कम वोटों का हटाया जाना: बरबाद वोटों को रोकने के लिये, यदि अधशेष हस्तांतरण के बाद आवश्यक संख्या में उम्मीदवार नरिवाचति नहीं होते हैं, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और साथ ही उनके अपर्युक्त मतपत्र शेष उम्मीदवारों के बीच पुनर्वतिरति कर दयि जाते हैं।**
 - एक "समाप्त कागज़" एक ऐसे मतपत्र को संदर्भति करता है जिसमें आगे बने रहने वाले उम्मीदवारों के लिये कोई अन्य प्राथमिकता दर्ज नहीं की जाती है।
 - अधशेष वोट स्थानांतरण एवं उनमूलन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कसिभी उपलब्ध सीटों को भरने के लिये पर्याप्त उम्मीदवार कोटा तक नहीं पहुँच जाते।

नोट:

शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत नरिवाचन आयोग मामला, 2018:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं को **उपरोक्त में से कोई नहीं** विकल्प देने को अस्वीकृत कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू करना संविधान के **अनुच्छेद 80(4)** के विपरीत है।
 - अनुच्छेद 80(4) में कहा गया है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के नरिवाचति सदस्यों द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से** किया जाएगा।

जेएमएम रशिवतखोरी मामला, 1998:

- सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के **अनुच्छेद 105(2)** के प्रावधानों की व्याख्या करनी थी, जो सांसदों को संसद या उसकी किसी समिति में अपने भाषण के साथ-साथ वोट के लिये छूट भी प्रदान करता है।
 - वर्ष 1998 के **जेएमएम रशिवत मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दयि कि रशिवत लेने वाले राजनेताओं पर तब तक **भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीं चलाया** जाएगा जब तक वे नयिमानुसार सदन में वोट देना या बोलना जारी रखते हैं।
- मार्च 2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने **25 वर्ष पुराने जेएमएम रशिवत मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट** दिया, जिसमें कहा गया कि **संसदीय वशिषाधिकार** या छूट उन वधायकों की रक्षा नहीं करेगी जो आपराधिक अभियोजन से संसद या राज्य विधानसभाओं में वोट देने अथवा बोलने के लिये भुगतान स्वीकार करते हैं।
 - वशिषाधिकार एवं उनमुक्तयि देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के प्रवेश द्वार नहीं हैं।

क्या दल-बदल वरिधी कानून राज्यसभा चुनावों पर लागू होता है?

- **दसवीं अनुसूची और "दल-बदल वरिधी" कानून:**
 - **52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985** द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची** शामिल की गई जिसमें **"दल-बदल वरिधी" कानून** से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
 - इसके अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है अथवा अपनी पार्टी के नरिदेशों के वरिद्ध मतदान करता है, वह **सदन का सदस्य होने के अयोग्य** करार दिया जाएगा।
 - मतदान के संबंध में यह नरिदेश आमतौर पर **पार्टी व्हिप द्वारा जारी** किया जाता है।
- **दसवीं अनुसूची की प्रयोज्यता:**
 - नरिवाचन आयोग ने जुलाई 2017 में स्पष्ट किया कि **दल-बदल वरिधी कानून** सहित दसवीं अनुसूची के प्रावधान **राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं होते हैं।**
 - अतः राजनीतिक दल राज्यसभा चुनाव के लिये अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं और **सदस्यसंबद्ध चुनावों में पार्टी के नरिदेशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य नहीं हैं।**

क्रॉस वोटिंग क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
 - राजेंद्र प्रसाद जैन ने **कॉंग्रेस वधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग (रशिवत के बदले)** के माध्यम से बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की कति

बाद में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैन के नरिवाचन को रद्द घोषित कर दिया गया।

■ परिचय:

- क्रॉस वोटिंग का आशय एक राजनीतिक दल से संबंधित किसी **वधायी निकाय के सदस्य**, जैसे कि संसद सदस्य अथवा विधानसभा का सदस्य द्वारा नरिवाचन के दौरान अथवा कोई अन्य मतदान प्रक्रिया में **अपने दल के उम्मीदवार के अतिरिक्त किसी अन्य उम्मीदवार** अथवा पार्टी को मत देने से है।
- भारत में राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में, क्रॉस वोटिंग तब हो सकती है जब किसी राजनीतिक दल के सदस्य अपनी पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवारों के स्थान पर अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिये वोट करते हैं।
- पार्टी के उम्मीदवार चयन पर असहमति, अन्य दलों से प्रलोभन अथवा दबाव तथा अन्य दलों के उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत संबंध अथवा वैचारिक मतभेद जैसे कारणों से **क्रॉस वोटिंग की संभावना** उत्पन्न होती है।

क्रॉस वोटिंग से संबंधित क्या प्रभाव हैं?

■ नकारात्मक प्रभाव:

- **प्रतनिधित्व को कमजोर करना:** क्रॉस-वोटिंग मतदाताओं के प्रतनिधित्व को कमजोर कर सकती है।
 - वधायकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे **पार्टी के हितों अथवा अपने नरिवाचन क्षेत्र की इच्छाओं** के अनुरूप मतदान करें कति ऐसा नहीं करने की दशा में ऐसे उम्मीदवारों के चयन की संभावना है जिनके पास बहुमत का समर्थन नहीं है।
- **भ्रष्टाचार:** अमूमन **रशिवतखोरी अथवा अन्य भ्रष्ट आचरण** के कारण क्रॉस वोटिंग होती है, जैसा कि **राजेंद्र प्रसाद जैन के नरिवाचन** के उदाहरण में प्रदर्शित होता है। यह नरिवाचन प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम करता है।
 - जैन ने कॉन्ग्रेस वधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग (रशिवत के बदले) के माध्यम से बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की जिसे बाद में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया।
- **पार्टी अनुशासन:** क्रॉस वोटिंग **पार्टी अनुशासन की कमी** को दर्शाती है, जो राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक विभाजन का संकेत देती है। यह **पार्टी की एकजुटता और स्थिरता को प्रभावित करता है** जिससे पार्टियों के लिये सुसंगत नीति एजेंडा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** क्रॉस-वोटिंग दायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है, जहाँ **प्रतनिधियों से अपने मतदाताओं के हितों और व्यापक जनता की भलाई को बनाए रखने की अपेक्षा** की जाती है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर व्यक्तिगत लाभ या दलगत राजनीति को प्राथमिकता देता है।

■ संभावित सकारात्मक प्रभाव:

- **स्वतंत्रता:** क्रॉस-वोटिंग नरिवाचति प्रतनिधियों के बीच स्वतंत्रता के स्तर का संकेत दे सकती है, जिससे उन्हें सख्त पार्टी लाइनों के बदले अपने विवेक या अपने घटकों के हितों के अनुसार मतदान करने की अनुमति मिलती है। जब **नरिवाचति प्रतनिधि** पार्टी लाइनों के खिलाफ मतदान करते हैं और इसके बदले अपने विवेक या मतदाताओं के हितों का पालन करते हैं, तो इसे **उनकी बढ़ती स्वतंत्रता के स्तर का संकेत** कहा जा सकता है।
 - इससे अधिक सूक्ष्म नरिणय लेने और प्रतनिधित्व को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नयितरण और संतुलन:** क्रॉस-वोटिंग, यदि राय या विचारधारा में वास्तविक मतभेदों से प्रेरित हो तो यह वधायी निकाय के भीतर **किसी एक पार्टी या गुट के प्रभुत्व पर नयितरण के रूप में कार्य कर सकती है**।
 - यह **शक्ति के संकेंद्रण को रोक सकता है** और दृष्टिकोण के अधिक संतुलन एवं विविधता को बढ़ावा दे सकता है।
- **दायित्व:** कुछ मामलों में, क्रॉस-वोटिंग पार्टी नेतृत्व या नीतियों के प्रतनिधियों को दर्शा सकती है, जिससे पार्टियों को **आत्मनिरीक्षण करने और आंतरिक शक्तियों का समाधान करने** के लिये बाध्य होना पड़ता है। इससे अंततः मतदाताओं के प्रतनिधियों को अधिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व उत्पन्न हो सकता है।

दसवीं अनुसूची और राज्यसभा चुनाव से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय क्या हैं?

■ कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, 2006:

- **सर्वोच्च न्यायालय** ने राज्यसभा चुनाव के लिये प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था को बरकरार रखा।
- इसने तर्क दिया कि यदि **गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है**, तो पारदर्शिता उसे दूर करने की क्षमता रखती है।
- हालाँकि उसी मामले में न्यायालय ने माना कि किसी राजनीतिक दल के नरिवाचति वधायक को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध मतदान करने पर **दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता** का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- वह अधिक-से-अधिक अपने राजनीतिक दल की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

■ रवी एस. नाइक और संजय बांदेकर बनाम भारत संघ, 1994:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत **स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना** उस पार्टी से **औपचारिक रूप से इस्तीफा देने का पर्याय नहीं है**, जिसका वह सदस्य है।
- सदन के अंदर और बाहर किसी सदस्य के आचरण को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वह स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के योग्य है।

आगे की राह

- रशिवतखोरी और भ्रष्टाचार सहित चुनावी कदाचार से निपटने के लिये सख्त कानून तथा नयिम लागू करने की आवश्यकता है।
 - इसमें अपराधियों के लिये दंड बढ़ाना, अभियान के वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाना और अनुपालन लागू करने के लिये स्वतंत्र चुनावी निकायों

को सशक्त बनाना शामिल हो सकता है।

- राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के बीच अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये आंतरिक तंत्र अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।
 - इसमें पार्टी नेतृत्व को मजबूत करना, अंतर-पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और नैतिक आचरण की संस्कृतिको बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
- चुनावी अखंडता के महत्त्व और करॉस-वोटिंग के परिणामों के बारे में मतदाताओं तथा हतिधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें सार्वजनिक शिक्षा अभियान, चुनावी मुद्दों की मीडिया कवरेज और नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने के लिये सशक्त बनाने की दशा में नागरिक भागीदारी पहल शामिल हो सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं: (2020)

- A. नई अखलि भारतीय सेवाएँ गठति करने के वषिय में
- B. संवधिन में संशोधन करने के वषिय में
- C. सरकार को हटाने के वषिय में
- D. कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के वषिय में

उत्तर: (B)

Q. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2016)

1. लोकसभा में लंबति कोई वधियक उसके सत्रावसान पर व्यपगत (लैपस) हो जाता है।
2. राज्यसभा में लंबति कोई वधियक, जसि लोकसभा ने पारति नहीं किया है, लोकसभा के वधिटन पर व्यपगत नहीं होगा।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1, न ही 2

उत्तर: (B)

Q. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2015)

1. राज्य सभा में धन वधियक को या तो अस्वीकार करने या संशोधति करने की कोई शक्ति नहिति नहीं है।
2. राज्य सभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
3. राज्यसभा में वार्षकि वत्तितीय वविरण पर चर्चा नहीं हो सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: (B)